न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—06/15 (2015/00051) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—दशा पुत्री जगु गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—सोहनी पुत्री जगु गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मथुरालाल पिता पन्नालाल गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—आसु पुत्र जगु गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—लेहरी पत्नि श्रीराम गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—देउ पत्नि श्रीराम गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—नेना पुत्र जगु गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—कमली पुत्री जगु गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—नोसी पुत्री नेना गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—देउ पुत्री नेना गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—अणछी पुत्री नेना गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—संतोक पुत्री नेना गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—मगनी पुत्री नेना गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—बगतावरी पत्नि आसु गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—ईश्वर पिता आसु गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. सुनिल बापना — विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः—12.01.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भटेवर तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1, 2, व विपक्षी 3 के पति श्रीराम व विपक्षी संख्या 4 की मौरूषी साबिक कृषि आराजियात साबिक खाता संख्या 71 में अंकित आराजी संख्या 98 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 111 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 125 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 201 रकबा 16 बीघा, आराजी संख्या 231 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 3[illegible] रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 375 रकबा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 376 रकबा [illegible] बिस्वा, आराजी संख्या 380 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 381 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या [illegible] रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 398 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 399 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 400 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 401 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 402 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 403 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:10 IST
Reason: SelfAttested

404 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 405 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 611/381 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 19 कुल रकबा 46 बीघा 12 बिस्वा भूमिया राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 1, 4, 5 के पिता व विपक्षी संख्या 2, 3 के ससुर जगु के नाम दर्ज थी। प्रार्थीगण के पिता जगुजी की मृत्यु के पश्चात् ग्राम पंचायत भींटा द्वारा वादपत्र की कलम संख्या 1 में अकिंत कृषि आराजियात का विरासत के आधार पर नामान्तरण 427 दिनांक 28.12.2001 निर्णित किया गया जिसकी सूचना ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को नही दी गई तथा प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नही दिये बिना ही विधिविरूद्व रूप से नामान्तरण निर्णित कर केवल विपक्षी संख्या 1, 4 व श्रीराम एवं हांसी का नाम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 5 भी हिन्दु उत्तराधिकार विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1, 4 व श्रीराम एवं हांसी के साथ बराबर के हिस्सेदार है। प्रार्थीगण का अपनी पैतृक भूमियो में प्रत्येक प्रार्थी का 1/8, 1/8, हिस्सा है अर्थात सम्पूर्ण कृषि भूमियो में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है विपक्षी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 से 3 का 1/8, विपक्षी संख्या 4 का 1/8 व विपक्षी संख्या 5 का 1/8 हिस्सा है। जिससे प्रार्थीगण को अपने 1/2 हिस्से की घोषणात्मक डिक्री करना आवश्यक हो गया है। तहसील रायपुर भु प्रबन्ध होने से ग्राम भटेवर का भू प्रबन्ध हुआ जिससे साबिक आराजियात के नवीन नम्बर आराजी संख्या 610 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 611 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 612 रकबा 1.80 है0, आराजी संख्या 658 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 659 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 660 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 661 रकबा 0.51 है0, आराजी संख्या 662 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 1089 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1090 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1091 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1312 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 1313 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 1317 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1318 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 1319 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 1320 रकबा 0.41 है0, आराजी संख्या 1321 रकबा 0.51 है0, आराजी संख्या 1322 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 1323 रकबा 0.70 है0, आराजी संख्या 1324 रकबा 0.73 है0, आराजी संख्या 1777 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 1778 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 1779 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1780 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 1785 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1786 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1787 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 1788 रकबा 0.45 है0, कुल किता 30 कुल रकबा 8.97 है0 कायम किये गये। साक्ष्य के रूप में नकल प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण पैतृक भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है विपक्षी अपने नाम भूमि दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि को रहन बय बक्षीस करने पर आमाद हो रहै और विपक्षी 2, 3 व 11 ने वादग्रस्त भूमियो मे से हांसी के हिस्से को विक्रयपत्र के जरिये अपने नाम करवा लिया विपक्षी संख्या 4 ने अपने हिस्से को विभाजन के जरिये अलग करवा विपक्षी संख्या 6 से 10 के पक्ष में गिफ्ट डीड पंजीयन [illegible] या। विपक्षी संख्या 2 ने भी जरिये विक्रय पत्र में अपना हिस्सा विपक्षी संख्या 12 [illegible] दिया। विपक्षी संख्या 4 द्वारा किया गया गिफ्ट डीड अवैध है जिससे विपक्षी संख्या 6 से 10 कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। गिफ्ट डीड दिनांक 09.12.2014 शुरू से ही शून्य होकर अवैध है। और गिफ्ट डीड के आधार पर विपक्षी 6 से 10 प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमदी दी है। अतः सादर प्रार्थना है कि बहक प्रार्थीगण विरूद्व विपक्षीगण ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे कि ग्राम भटेवर के खाता संख्या 5 में अकित आराजी संख्या 610, 611,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:10 IST
Reason: SelfAttested

658, 659, 660, 661, 662, 663, 1089, 1090, 1312, 1322, 1323, 1777, 1778, 1780, 1785, 1786, 1787, 1788 कुल किता 23 कुल रकबा 6.70 है0 व खाता संख्या 109 में आराजी संख्या 1091, 1317, 1319, 1320, 1321, 2121/612 कुल किता 6 कुल रकबा 2.23 है0 व खाता संख्या 107 में अकिंत आराजी संख्या 1779 रकबा 0.04 है0 मे से बेदखल नही करे तथा उन्हे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा विपक्षी संख्या 13 विपक्षी संख्या 1 से 3 व 6 से 10 द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज का पंजीयन नही करे। यदि दौराने वाद विपक्षीगण प्रार्थीगण को बेदखल कर देवे या वादग्रस्त भूमि को किसी अन्य को रहन बय बक्षीस कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा से पुनः कब्जा प्रार्थीगण को दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा 5 से 7 एवं 11 व 12 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 3, 4, 8, 9, 10 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 3 के द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो मे से कृषि आराजियात भटेवर में होना स्वीकार करते हुए शेष कथन अस्वीकार किया। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की जमीन हड़पने के लिये अपने आप को जगुजी के वारीस बता कर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया ग्राम पंचायत द्वारा जगु की विरासत का नामान्तकरण 427 दिनांक 28.12.2001 विधिवत रूप से मृतक जगु के वारीसान के नाम खोला गया है और जगु के वारीसान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियो का सहमति से 2002 मे ही विभाजन करवा लिया जिसके बंटवारे का नामान्तरण करण 51 दिनांक 28.09.2006 को फस्ल किया गया और मु0 हांसी ने अपना सम्पर्ण हिस्सा प्रतिफल लेकर दिनांक 30.07.2007 को विपक्षी 2, 3, 11 को विक्रय कर पंजीयन करा दिया विपक्षी 2, 3, 11 मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है।

इसी तरह विपक्षी संख्या 4, 8, 9, 10 की ओर से जबाब में अकंन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार है विपक्षी 2 व 3 श्रीराम की पत्नियां है उनकी मौरूषी जायदाद नही है और जगु की विरासत विधिवत हुई है। दशा, सोहनी व कमली ने विरासत के इन्तकाल की अपील 19.06.2006 को प्रस्तुत की गई जो पुनः अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 31.07.2008 को नोट प्रेस करने से खारीज हुई पुत्रीयों की शादी होकर ससुराल में आबाद है और ससुराल की सम्पति में हक अधिकार है विपक्षी संख्या 4 ने अपनी जायन्दा पुत्रीयो के हक में उनकी आराजियात के गिफ्ट डीड की गई जिसका इन्तकाल नम्बर 236 दिनांक 20.12.2014 को खोला गया है और हांसु के हिस्से की जमीन आसु, व श्रीराम से मिली भगत कर जरिये विक्रय पत्र नामान्तरकरण्स संख्या 75 से [illegible] श्रीराम, बगतावरी पत्नि आसु के नाम खोला गया प्रार्थी संख्या 3 की माता का देह[illegible]का है। विपक्षी संख्या 4 ने अपनी पुत्रीयो विपक्षी संख्या 6 से 10 के प[illegible] डीड पंजीयन करवाया गया। विपक्षी नेनु, आसु व श्रीराम 3 पुत्र [illegible] होकर [illegible] पृथक रहते है जिनके द्वारा भूमि का विभाजन कर अलग अलग काबिज है। [illegible] द्वारा गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है सव्यय खारीज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दाहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रार्थीगण मृतक खातेदार की पुत्रिया है

विरासत में नाम दर्ज नही हुआ है। पुत्रीयो का हक हिस्सा बनता है जो दावे में तय होगा किन्तु मूलवाद के निर्णय तक रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस में निवदेन किया कि मूल खातेदार जगु की भूमि इन्तकाल संख्या 427 नेनु, आसु, श्रीराम ओर हांसी के नाम विरासत से दर्ज हुई थी और इस नामान्तरकरण की अपील प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 19.06.2006 को अपील पेश की गई जो नोट प्रेस करने से खारीज हुई। नेनु ने धारा 53 के तहत दावा पेश अपना हिस्सा अलग करा सारी जमीन पुत्रीयो को दे दी जो भी कार्यवाही हुई वह नियमानुसार हुई प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगणो की पैतृक सम्पति है मूल खातेदार जगु के फोत होने पर विरासत के दौरान प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही होने से प्रार्थीगण अपनी हक व हिस्से भूमि से वछिंत हो गये है विपक्षीगण द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि का विभाजन करा भूमि को रजिस्टर्ड दस्तावेजो से स्थान्तरित की है और आगे भी भूमि खुर्द बुर्द होने की पूर्ण सम्भावना है अगर भूमि आगे स्थान्तरित होती है तो प्रकरण कानून की पेचिदगियो में उलजेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संम्भावना है प्रार्थीगण मृतक खातेदार जगु के प्रथम श्रेणी के वारीस है जिसे प्रकरण प्रथम दुष्टया होकर सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों के मूल वाद के निस्तारण तक रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखी जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम भटेवर के खाता संख्या 5 में अंकित आराजी संख्या 610, 611, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 1089, 1090, 1312, 1322, 1323, 1777, 1778, 1780, 1785, 1786, 1787, 1788 कुल किता 23 कुल रकबा 6.70 है0 व खाता संख्या 109 में आराजी संख्या 1091, 1317, 1319, 1320, 1321, 2121 / 612 कुल किता 6 कुल रकबा 2.23 है0 व खाता संख्या 107 में अकिंत आराजी संख्या 1779 रकबा 0.04 है0 मे से बेदखल नही करे तथा उन्हे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे एवं मूल वाद के निस्तारण तक रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.01.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
[illegible] कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:10
Reason: SelfAttested